न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—2025/08

सरकार जरिये रामसिंह मीना, जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़

—प्रार्थी

बनाम्

श्री रतिराम पुत्र श्री बंशीलाल निवासी 87 जीबी तहसील अनूपगढ़(बालाजी किरयाना स्टोर)

—अप्रार्थी

परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा—6 ए

—:निर्णयः— दिनांकः—11.06.2025

यह इस्तगासा **रामसिंह मीना, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़** द्वारा **परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा—6 ए** अन्तर्गत पेश किया जिसमें संक्षेप में वर्णित तथ्य इस प्रकार है—

यह है कि दिनांक—20.09.2024 को जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़ स्थित फर्म/होटल बालाजी किरयाना स्टोर चक 87 जीबी पर पहुँचें। जांच के दौरान फर्म बालाजी किरयाना स्टोर पर **श्री रतिराम पुत्र श्री बंशीलाल निवासी 87 जीबी तहसील अनूपगढ** मौके पर उपस्थित मिला तथा स्वयं को दुकान का मालिक बताया। श्री रतिराम की उपस्थिति में फर्म बालाजी किरयाना स्टोर की जांच में कुल 07 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जो कि भारत गैस कम्पनी के थे। श्री रतीराम से पूछने पर बताया कि कि वह किसी भी गैस एजेन्सी से खाली गैस सिलेण्डर देकर भरा हुआ लेता है फिर प्रत्येक सिलेण्डर पर 20 रूपये अधिक लेकर उपभोक्ताओं को बेचने का कार्य करता है। श्री रतीराम द्वारा उक्त सात घरेलू गैस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भंडारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री रतीराम के पास नही मिला।

फर्म बालाजी किरयाना स्टोर, 87 जीबी तहसील अनूपगढ़ पर पाये गये 07 घरेलू गैस सिलेण्डर को जरिए फर्द जब्त किये गये एंव सिद्धी विनायक गैस एजेन्सी, अनूपगढ़ के कार्मिक बिल्लू गल्होत्रा पुत्र श्री मुस्ताक राय उम्र 55 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं.—01 सूरतगढ़ आधार संख्या—958926289530 व मो. नं.—9610887491 का सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द मौका व जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। उपर्युक्त जांच में यह स्पष्ट है कि **श्री रतिराम पुत्र श्री बंशीलाल निवासी 87 जीबी तहसील अनूपगढ** द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी की रही है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3(1)(ख)(ग),4(1)(क)(ग)(2),6 व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लंधन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है मौके से 07 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावें।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अनुप्रीत स्वामी उपस्थित आये। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब पेश न कर सीधे बहस करना चाहा। अतः जवाब बंद कर सीधे बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात प्रस्तुत नही किए गए है जिससे यह साबित हो सके कि वह घरेलू गैस का व्सावसायिक उपयोग के लिए अधिकृत हो। अप्रार्थी **श्री रतिराम पुत्र श्री बंशीलाल निवासी 87 जीबी तहसील अनूपगढ** का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3(1)(ख)(ग),4(1)(क)(ग)(2),6 व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लंधन है। अतः जब्तशुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

उपरोक्त विवेचनों के आधार अप्रार्थी **श्री रतिराम पुत्र श्री बंशीलाल निवासी 87 जीबी तहसील अनूपगढ** की दुकान से जब्तशुदा(फर्द मौका जब्तीनुसार) 07 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ़ को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक सांगवा) आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़